कार्यालय–प्रभारी अधिकारी, माधुीर कुण्ड प्रक्षेत्र

(उ0 प्र0 पं0 दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
एवं गौ अनुसंधान संस्थान, मथुरा)

सरसों बीज की छानस नीलामी की सूचना

विश्वविद्यालय के माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र (अड़ींग) मथुरा पर उत्पादित सरसों बीज की छानस 100.70 कु0 की नीलामी बिक्री/खुली बोली के माध्यम से राष्ट्रीय बीज निगम आगरा पर समिति के समक्ष दिनांक 11.11.2025 को दोपहर 12:30 बजे होना प्रस्तावित है। नीलामी बोलीदाता/क्रेताओं को रू0– 20,000/– (बीस हजार मात्र) की नंकद/ड्राफ्ट के माध्यम से जमानत धनराशि जमा करनी होगी जो वित्त अधिकारी, दुवासू मथुरा के नाम देय होगा। नीलामी/बोलीदाता/क्रेताओं को अपनी फर्म की 6 आर देनी होगी। यदि नीलामी /बिक्री किसी कारणवश दिनांक 11.11.2025 को नहीं हो पाती है जो पुनः नीलामी/बिक्री दिनांक 18.11.2025 को होगी। नीलामी/बिक्री की शर्ते वि0वि0 की वेवसाईट www.upvetuniv.edu.in पर देखी जा सकती है एवं नीलामी से पूर्व भी बता दी जायेगी, एवं नीलामी से सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र (अड़ींग) कार्यालय पर सम्पर्क कर सकते है।

प्रभारी अधिकारी,
माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र
दुवासू मथुरा।

प्रभारी अधिकारी
माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र, मथुरा

माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र पर रबी 2024–25 में उत्पादित सरसों बीज की छानस की दिनांक 11.11.2025 राष्ट्रीय बीज निगम आगरा में होने वाली नीलामी की शर्ते निम्नलिखित हैं:–

1. नीलामी /बिक्री हेतु सरसों की छानस राष्ट्रीय बीज निगम आगरा में रखी **जैसी है जहॉ है** की स्थिति में 100.70 कु0 की नीलामी /बिक्री की जायेगी।
2. नीलामी/बिक्री होने के पश्चात् सरसों की तुलाई का कार्य राष्ट्रीय बीज निगम आगरा एवं समिति के निर्देशानुसार किया जायेगा।
3. तुलाई क्विंटल /किलोग्राम में पूर्ण वजन पर की जायेगी। तुलाई में कोई अतिरिक्त वजन देय नहीं होगा। बोली प्रति क्विंटल की दर से बोली जायेगी।
4. नीलामी/बिक्री होने के पश्चात् सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत/कमेटी की संस्तुति पर ही सरसों छानस की सम्पूर्ण धनराशि वि0वि0 के खाते में जमा करने के बाद ही उठवायी जायेगी।
5. कृषि उत्पादन मण्डी समिति लाइसेंस नवीनीकरण की रसीद छायाप्रति, फर्म की 6R एवं नकद/डीडी के साथ उपलब्ध करानी होगी। यदि वॉछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाते तो वे बोली बोलने का हक नहीं रखेंगे। जमानत राशि रू0 20000.00 प्रति बोलीदाता की होगी एवं नीलामी/बिक्री होने के उपरॉत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाता की जमानत राशि रोक ली जायेगी (सरसों छानस उठान के बाद वापस की जायेगी) शेष सभी की जमानत राशि तुरन्त वापिस कर दी जायेगी।
6. सरसों उठाने में राष्ट्रीय बीज निगम आगरा को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति होती है तो संबंधित बोलीदाता उत्तरदायी होगा।
7. सरसों को अपने वारदाना में एवं अपने साधन से ही ले जाना होगा।
8. सरसों को ले जाने के लिये अपने मजदूर लाने होंगे। तुलाई एवं पैकिंग भी स्वयं करानी होगी। केता से इस संबंध में किसी प्रकार की कोई सुविधा/साधन प्रदान नहीं किया जायेगा। सरसों छानस ले जाने का समय प्रातः 10:00 बजे से सॉय 04:00 बजे/कार्यदिवस में ही होगा।
9. बोलीदाता/खरीददार राष्ट्रीय बीज निगम आगरा पर किसी अन्य को पुनः बोली लगाकर नही बेंच सकेगें। यदि ऐसा करते हैं तो उनके नाम छोड़ी गयी बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
10. नीलामी बोली में द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे बोलीदाता की जमानत धनराशि जमा रखी जायेगी, जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत/कमेटी की संस्तुति एवं आदेशों के बाद ही वापिस की जायेगी।
11. सरसों नीलामी/बिक्री को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार समिति एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का होगा।
12. समिति द्वारा न्यूनतम बोली की धनराशि निर्धारित की जायेगी जो बोलीदाता प्रथम बोली रू0–....................../– प्रति क्विंटल से प्रारम्भ करेंगे।
13. अन्तिम बोलीदाता को सरसों नीलामी प्रक्रिया को पूर्ण होने के उपरांत सक्षम अधिकारी से अनुमोदन/कमेटी की संस्तुति के बाद 5 दिन में उठाना होगा और सम्पूर्ण धनराशि एक बार में जमा करना होगा, तदनुपरांत ही सरसों छानस परिवहन हेतु गेट पास देय होगा।
14. यदि निर्धारित समय में अंतिम बोलीदाता द्वारा सरसों छानस नीलामी को नहीं उठाया गया तो 20 रू0 प्रति कुन्टल प्रति दिन की दर से भण्डार शुल्क के रूप में राष्ट्रीय बीज निगम आगरा को देय होगा। 15 दिन के बाद जमानत धनराशि जब्त करते हुये अंतिम बोलीदाता की बोली को निरस्त कर दिया जायेगा।
15. अंतिम बोलीदाता सरसों की संपूर्ण कीमत डी0डी0 वित्त अधिकारी, दुवासू मथुरा के नाम देय अथवा RTGS द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक, वैटरिनरी कालेज मथुरा के वित्त अधिकारी के खाता सं0– 147501000000123 (IFSC Code: IOBA0001475) में जमा कर UTR नं0– भंडार पाल, माधुरीकुण्ड प्रक्षेत्र को उपलब्ध कराना होगा, तदनुपरांत ही सरसों परिवहन हेतु गेट पास देय होगा।

Ravi

प्रभारी अधिकारी,

प्रभारी अधिकारी
माधुरी कुण्ड प्रक्षेत्र, मथुरा